श्री कवीन्द्र कुमार, सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, नालंदा(बिहार शरीफ)।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1095/2026

इसलामपुर थाना काण्ड सं0–190/2026

दिलीप कुमार बनाम बिहार सरकार

इसलामपुर थाना काण्ड सं0–190/2026 अंतर्गत धारा–65(1), 308(5), 351(3) भा. न्या. सं. एवं धारा–4/6 पॉक्सो एक्ट ।

दिलीप कुमार पुत्र–जितेन्द्र प्रसाद,
साकिन + थाना–इसलामपुर, जिला–नालन्दा।

:–आवेदक/अभियुक्त ।

बनाम

बिहार सरकार

17.07.2026

आवेदक/अभियुक्त दिलीप कुमार की ओर से दिनांक–02.06.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा प्रचालित किया गया । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सूचिका/पीड़िता (x) के दि. 10.05.2026 को इसलामपुर थाना में लिखित आवेदन दाखिल किया गया, जिसके आधार पर इसलामपुर थाना काण्ड सं0–190/2026 आवेदक के विरुद्ध अंतर्गत धारा–65(1), 308(5), 351(3) भा. न्या. सं. एवं /kkjk&4@6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, उसी से उत्पन्न है । इस अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सूचिका/पीड़िता (x) उम्र 15 वर्ष 05 महीना ने दि. 10.05.2026 के लिखित आवेदन में कही है कि वह दसवीं कक्षा में पढ़ती है । उसकी मम्मी जो इसलामपुर में डेरा लेकर सिलाई का दुकान चलाती है जहां पर आवेदक यदा–कदा आया करता था । कोचिंग जाने के क्रम में आवेदक रास्ते में आवेदक पीड़िता को कहा करता था कि हम तुमको मैट्रिक का Question Bank उपलब्ध करवा देंगे तुम डेरा पर आना तो पीड़िता आवेदक के साथ आवेदक के डेरा पर गया । जब पीड़िता डेरा पर गयी तो आवेदक पीड़िता के साथ गंदी–गंदी बातें करने लगा और वह कहा कि आपको किसी तरह के परेशानी नहीं होने दूंगा और डेरा में दरवाजा बंद कर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया और पीड़िता को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से विडियो बनाया और फोटो लिया एवं पीड़िता को कहा कि अगर किसी को बताओगी तो हम विडियो वायरल कर देंगे नहीं तो जो हम कहेंगे वह तुमको करना होगा । इस तरह से 06 सितम्बर, 2025 से लगातार फरवरी 2026 तक लगभग 12 से 15 बार शारीरिक संबंध बनाया और अंतिम बार 06 फरवरी 2026 को मम्मी का मोबाइल जो मेरे पास था, जबर्दस्ती कर मोबाइल का आई.डी. पासवर्ड खुद से ले लिया । इन सब घटना की जानकारी मम्मी को दि. 07 मई, 2026 को दी तब मम्मी ने आवेदक को कॉल तो उसने सबको धमकी दिया और मेरी मम्मी को भी ब्लैकमेल करने का कोशिश किया

। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है । लगातार 17.07.2026

आवेदक इस घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है । यह घटना दि. 06.09. 2025 का है और प्राथमिकी काफी विलंब से दि. 10.05.2026 को पीड़िता ने दाखिल करायी है, जब आवेदक ने शादी करने से इनकार कर दिया । आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है । आवेदक गिरफ्तारी से भयभीत है । अतः अभियुक्त को किसी भी शर्त पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय ।

विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष कहे कि पीड़िता नाबालिग है और आवेदक के विरुद्ध नाबालिग पीड़िता को Question Bank देने के नाम पर बहला–फुसलाकर अपने साथ ले जाने एवं कई बार शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का सीधा आरोप लगाया गया है । अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय । पीड़िता भी विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपने साथ हुई घटना को दोहराई है ।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया । आवेदक पर नाबालिग पीड़िता को Question Bank देने के नाम पर बहला–फुसलाकर अपने साथ ले जाने एवं कई बार शारीरिक संबंध बनाने का सीधा आरोप लगाया गया है । वाद दैनिकी के कण्डिका–03 में पीड़िता का घ ाारा–180 भा. ना. सु. सं. का बयान है जिसमें पीड़िता ने लिखित आववेदन का समर्थन करते हुए कही है कि ''दि. 06.09.2025 को दसवीं कक्षा का Question देने के बहाने अपना डेरा ले गया और जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाया और विडियो बनाया फिर बाद में शादी का झांसा देकर 12–15 बार शारीरिक संबंध बनाया ।''वाद दैनिकी के कण्डिका–04 में पीड़िता की मां का बयान है जिसने भी जिसने भी लिखित आवेदन की बातों को विस्तृत ढंग से बताई है । वाद दैनिकी के कण्डिका–27 में पीड़िता का घारा–183 भा. ना. सु. सं. का बयान है । पीड़िता ने घारा–180 भा. ना. सुं. सं. की बातों को बताई है और न्यायालय में उपस्थित होकर धारा–183 भा. ना. सु. सं. की बातों को दोहराई है । वाद दैनिकी के कण्डिका–51 में पर्यवेक्षण टिप्पणी है जिसमें पर्यवेक्षक ने आवेदक के विरुद्ध घारा–धारा–65(1), 308(5), 351(3) भा. न्या. सं. एवं /kkjk&4@6 पॉक्सो एक्ट में घ ाटना को सत्य पाया गया है । वाद दैनिकी के कण्डिका–05 में अनुसंघ ाानकर्ता द्वारा पीड़िता का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र के आघार पर पीड़िता का जन्म तिथि–20.10.2010 अंकित किया गया है । इस प्रकार पीड़िता घटना के समय प्रथम दृष्टया नाबालिग प्रतीत होती है । इस वाद में

श्री कवीन्द्र कुमार, सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, नालंदा(बिहार शरीफ)।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1095 / 2026

इसलामपुर थाना काण्ड सं0–190 / 2026

दिलीप कुमार बनाम बिहार सरकार

आगे का अनुसंघान जारी है । आवेदक के विरुद्ध सीघे तौर पर नाबालिग पीड़िता लगातार 17.07.2026

को शादी करने ओर question Bank देने का बहना से बहला–फुसलाकर अपने साथ ले जाने और कई बार शारीरिक संबंघ बनाने का सीघा आरोप संबंघी वाद दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य एवं सामग्री उपलब्ध है । उपरोक्त तथ्यों को घ्यान में रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक / अभियुक्त दिलीप कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दि.02.06.2026 अंतर्गत धारा–धारा–65(1), 308(5), 351(3) भा. न्या. सं. एवं /kkjk&4@6 पॉक्सो एक्ट पॉक्सो एक्ट को **खारिज** किया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(कवीन्द्र कुमार)
सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश,
पॉक्सो, नालंदा, बिहार शरीफ।

ज्ञापांक ____ / 2026 दिनांक–

प्रतिलिपि अग्रसारित : D.S.J. VIIth., Nalnda at Bihar Sharif.

(कवीन्द्र कुमार)
सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश,
पॉक्सो, नालंदा, बिहार शरीफ।